

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-569 वर्ष 2017

सहजानंद शर्मा, पे0-स्वर्गीय जगनारायण शर्मा, निवासी-योगदा सत्संग परिसर,
डाकघर-धुर्वा, थाना-जगन्नाथपुर, जिला-राँची।

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड सरकार, टेलीफोन भवन, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगन्नाथपुर, जिला-राँची, झारखंड।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, राँची, डाकघर, थाना एवं जिला-राँची, झारखंड।
4. सचिव/हेडमास्टर, योगदा सत्संग विद्यालय, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगन्नाथपुर, जिला-राँची, उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री सोमेश्वर राँय, अधिवक्ता

उत्तरदातागण के लिए:- जी0पी0-IV का जे0सी0

02/07.02.2017 यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 31.01.2016 को प्रतिवादी-योगदा सत्संग विद्यालय, जगन्नाथपुर, राँची की सेवाओं से चपरासी के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि विचाराधीन स्कूल एक गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया

जाता है। याचिकाकर्ता को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी किया गया पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।

2. वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता की शिकायत उसके बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उसने यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ता के दावे का पहले प्रतिवादी-राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन अब यह मुद्दा मरियम तिर्की बनाम राज्ज्य सरकार एवं अन्य, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-506/2013 और अन्य अनुरूप मामले जो 2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465 में रिपोर्ट किए गए हैं, के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर सुलझा लिया गया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या 20606-20607/2014 में दिनांक 15.12.2014 को पारित निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पूर्वोक्त दिए गए निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई पुष्टि के मद्देनजर रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर किया जा सकता है।

4. उत्तरदाता-राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि गैर-सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश

नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिकी (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया है, द्वारा तय किया गया है।

5. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं० 3 को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह याचिकाकर्ता को उसके संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिकी (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

7. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया०)